भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3990

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

छोटे किसानों के लिए विभिन्न प्रभारों में छूट

3990. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंक संघ ने छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए 3 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संबंधी ऋणों के लिए प्रसंस्करण, दस्तावेजीकरण, निरीक्षण, लेजर पोलियों शुल्क और अन्य सेवा प्रभार माफ करने की सलाह दी है;

(ख) क्या बैंक द्वारा उक्त सलाह का पालन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का इसे अनिवार्य बनाने का विचार है ताकि सभी बैंक इसका सख्ती से पालन करें?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): विनियमन मुक्त ऋण परिवेश में, बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन प्रभार और शुल्क लगाने सहित ऋण संबंधी निर्णय लेने का विवेकाधिकार दिया गया है। तदनुसार, बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) ऋणों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य शुल्को पर अपने संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार और आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 04.07.2018 के किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) पर मास्टर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेते हैं।

भारतीय बैंक संघ ने 04 फरवरी 2019 को एक एडवाइजरी जारी की और सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे छोटे और सीमांत किसानों की कठिनाई और वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए 3 लाख रुपये तक के केसीसी/फसल ऋणों के लिए प्रसंस्करण, दस्तावेजीकरण, निरीक्षण और अन्य सभी सेवा शुल्क माफ कर दें।

*****